IJARSCT
ISSN: 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

जीएसटी (Goods and Services Tax) का छोटे व्यवसायों पर प्रभाव

डॉ. अतुल शुक्ला

अतिथि विद्वान वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कर दिया, जिससे छोटे व्यवसायों (Small Businesses) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। यह शोध पत्र जीएसटी के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करता है। सकारात्मक रूप से, कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा, इंटर-स्टेट व्यापार की आसानी तथा कंपोजिशन स्कीम से छोटे व्यापारियों को राहत मिली। 2025 में लागू जीएसटी 2.0 सुधारों (दो मुख्य स्लैब: 5% और 18%, 12% तथा 28% स्लैब का अधिकांश हटाना) ने एमएसएमई की लागत कम की तथा औपचारिकता बढ़ाई।

नकारात्मक रूप से, अनुपालन बोझ, डिजिटल साक्षरता की कमी, आईटीसी रिफंड में देरी तथा कैश फ्लो पर दबाव ने विशेषकर ग्रामीण तथा सूक्ष्म उद्यमों को चुनौती दी। द्वितीयक डेटा (सरकारी रिपोर्ट, PIB, MSME वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, Deloitte सर्वे, विभिन्न शोध पत्र) के आधार पर अध्ययन से पता चलता है कि 2024-25 में सक्रिय जीएसटी पंजीकरण 1.51 करोड़ से अधिक हो गए तथा कुल संग्रह रिकॉर्ड

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429

Volume 6, Issue 3, March 2026

Impact Factor: 8.2

₹22.08 लाख करोड़ रहा। एमएसएमई क्षेत्र (GDP का ~30%, निर्यात का >45%, 11 करोड़+ रोजगार) लंबे समय में लाभान्वित हुआ, किंतु सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरलीकृत अनुपालन की आवश्यकता बनी हुई है। अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि जीएसटी 2.0 के साथ एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है, परंतु डिजिटल सहायता तथा तेज रिफंड से और सुधार संभव है। यह शोध नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

कीवर्ड (Keywords)

जीएसटी, एमएसएमई, छोटे व्यवसाय, अनुपालन बोझ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी 2.0, औपचारिकता, कैश फ्लो, कर सुधार।

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाते हैं। वे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% योगदान करते हैं, निर्यात में 45% से अधिक हिस्सा रखते हैं तथा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। पूर्व जीएसटी युग में VAT, Excise Duty, Service Tax, Central Sales Tax आदि अनेक करों की जटिलता के कारण छोटे व्यवसायों पर भारी बोझ पड़ता था। कैस्केडिंग प्रभाव (टैक्स ऑन टैक्स) से लागत बढ़ती थी तथा इंटर-स्टेट व्यापार में चेक-पोस्ट बाधाएं होती थीं। 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी ने “एक राष्ट्र, एक कर” का सपना साकार किया। यह गंतव्य-आधारित कर प्रणाली है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से पूर्ण क्रेडिट मिलता है। शुरुआत में पंजीकरण सीमा ₹20 लाख (सामान) तथा ₹10 लाख (सेवा) थी, जो बाद में बढ़कर ₹40 लाख (सामान) तथा ₹20 लाख (सेवा) हो गई। कंपोजिशन स्कीम में ₹1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसाय 1% से 6% फ्लैट टैक्स देकर सरल अनुपालन कर सकते हैं। एमएसएमई पर जीएसटी का प्रभाव दोहरी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

प्रकृति का रहा। सकारात्मक पक्ष में, लॉजिस्टिक्स लागत घटी, पूरे भारत में बिना बैरियर व्यापार संभव हुआ तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था बढ़ी। Udyam पोर्टल के साथ GSTN एकीकरण से सूक्ष्म उद्यमों को GST से छूट मिली। 2025 में जीएसटी 2.0 सुधार (56वीं GST परिषद बैठक, 3 सितंबर 2025; लागू 22 सितंबर 2025) ने स्लैब को दो मुख्य दरों (5% तथा 18%) में सरल किया। 12% स्लैब के 99% तथा 28% स्लैब के 90% आइटम इनमें स्थानांतरित हो गए। सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, हस्तशिल्प, FMCG छोटे पैकेट आदि पर दरें कम हुईं, जिससे एमएसएमई की उत्पादन लागत 1.5-2% घटी। नकारात्मक पक्ष में, अनुपालन लागत (GSTR-1, GSTR-3B आदि रिटर्न), डिजिटल साक्षरता की कमी तथा ITC रिफंड में 30-60 दिन की देरी से सूक्ष्म उद्यमों का कैश फ्लो प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में अकाउंटेंट रखना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च ₹3,000-8,000 मासिक होता है। Deloitte GST@8 सर्वे (2025) के अनुसार 85% उद्योगों ने जीएसटी को सकारात्मक माना, किंतु एमएसएमई में सकारात्मकता 78% से 82% बढ़ी।

शोध के उद्देश्य निम्न हैं:

जीएसटी पूर्व तथा पश्चात एमएसएमई के अनुपालन बोझ का तुलनात्मक अध्ययन।

कंपोजिशन स्कीम तथा ITC का लाभ-हानि विश्लेषण।

2025 जीएसटी 2.0 सुधारों का एमएसएमई पर प्रभाव।

नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन 2017-2026 के डेटा पर आधारित है तथा एमएसएमई की सतत विकास में जीएसटी की भूमिका को रेखांकित करता है। प्रारंभिक वर्षों (2017-2020) में संक्रमण काल की चुनौतियां थीं, किंतु 2023 के बाद टर्नओवर ग्रोथ 8-9% तथा रोजगार वृद्धि 3% से अधिक हो गई।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह शोध पूर्णतः द्वितीयक डेटा आधारित है, **क्योंकि प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए संसाधन सीमित थे। डेटा संग्रह की विधि निम्न है**:

सरकारी स्रोत: GST Council **रिपोर्ट**, Ministry of Finance PIB **प्रेस नोट्स**, MSME **वार्षिक रिपोर्ट** 2024-25, GSTN **डैशबोर्ड। उदाहरण**: 30 **अप्रैल** 2025 **तक** 1.51 **करोड़ सक्रिय पंजीकरण तथा** 2024-25 **में** ₹22.08 **लाख करोड़ सकल संग्रह।**

- **शोध पत्र एवं जर्नल**: ResearchGate, IJCRT, IJRT, Sage Journals **आदि से** 2017-2025 **के** 29+ **अध्ययन** (**जैसे** "Impact of GST on MSMEs: A Systematic Review" 2025)**।**
- **सर्वे एवं रिपोर्ट**: FICCI, CII, Deloitte GST@8 **सर्वे**, RBI **रिपोर्ट।**
- **आंकड़े विश्लेषण**: **तुलनात्मक** (Pre-GST vs Post-GST), **प्रवृत्ति विश्लेषण** (2017-2026 **टर्नओवर**, **रोजगार**, **निर्यात**), **सेक्टर-विशिष्ट** (**टेक्सटाइल**, **मैन्युफैक्चरिंग**, **सर्विस**)**।**
- **समयावधि**: 2017 (**जीएसटी लागू**) **से मार्च** 2026 **तक।**
- **सीमाएं**: **प्राथमिक डेटा अभाव तथा राज्य-स्तरीय विविधता। विश्वसनीयता के लिए केवल आधिकारिक तथा पीयर-रिव्यूड स्रोतों का उपयोग किया गया। विश्लेषण गुणात्मक** (**लाभ-चुनौतियां**) **तथा मात्रात्मक** (**आंकड़े**, **ग्रोथ रेट**) **दोनों पर आधारित है।**

विस्तृत विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Findings & Discussion – **प्रस्तावना का विस्तार**)

सकारात्मक प्रभाव:

कैस्केडिंग समाप्ति: **पहले** VAT + Excise + CST **से** 25-30% **प्रभावित लागत अब** ITC **से** 8-12% **कम। टेक्सटाइल तथा फुटवियर जैसे सेक्टर में लाभ।**

ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, March 2026
Impact Factor: 8.2

कंपोजिशन स्कीम: ₹1.5 **करोड़ तक** (**विशेष राज्य** ₹75 **लाख**) **पर** 1% **टैक्स**, **तिमाही रिटर्न।** 2025 **तक** 40% **छोटे व्यवसाय इसमें शामिल।**df1ce5

इंटर-स्टेट व्यापार: **चेक-पोस्ट हटने से लॉजिस्टिक्स** 20-30% **सस्ता। एमएसएमई निर्यात** 10.2% **तक बढ़ा** (2025)**।**

औपचारिकता: Udyam + GSTN **एकीकरण से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम** (IME) GST **से मुक्त।** 2024 **तक** 5.77 **करोड़** Udyam **पंजीकरण।**

2025 **जीएसटी** 2.0: 5% **तथा** 18% **स्लैब से एमएसएमई इनपुट** (**सीमेंट**, **ऑटो पार्ट्स**) **सस्ता। प्री-फिल्ड रिटर्न**, **तेज रिफंड से अनुपालन लागत** 15-20% **घटी।**1596c1

नकारात्मक प्रभाव:

अनुपालन बोझ: **मासिक/तिमाही रिटर्न**, HSN **कोड**, ITC **मैचिंग। सूक्ष्म उद्यमों में** 60% CA **पर निर्भर।**

कैश फ्लो: ITC **देरी से** 45-90 **दिन का ब्लॉकेज। निर्यातकों में रिफंड पेंडिंग।**

डिजिटल डिवाइड: **ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड/सॉफ्टवेयर की कमी।**

सेक्टर विविधता: **टेक्सटाइल/फुटवियर में अधिक नुकसान**, **जबकि सेवा क्षेत्र में कम।**

आंकड़े:

- 2017-2021: **संक्रमण काल**, **टर्नओवर ग्रोथ** 3.5%**।**
- 2023-2025: 8.4-9.1% **टर्नओवर ग्रोथ**, 3.2-3.8% **रोजगार वृद्धि।**
- **सक्रिय पंजीकरण**: 60 **लाख** (2017) → 1.51 **करोड़** (2025)**।**
- **चर्चा**: **दीर्घावधि में जीएसटी ने एमएसएमई को औपचारिक**, **प्रतिस्पर्धी तथा बैंक लोन योग्य बनाया। जीएसटी** 2.0 **ने** “Ease of Doing Business” **को बढ़ावा दिया।**

DOI: 10.48175/IJARSCT-31615

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, March 2026 Impact Factor: 8.2

निष्कर्ष (Conclusion)

जीएसटी ने छोटे व्यवसायों तथा एमएसएमई को लंबे समय में सशक्त बनाया है। शुरुआती चुनौतियां (अनुपालन, कैश फ्लो) के बावजूद, एकीकृत बाजार, ITC तथा 2025 के जीएसटी 2.0 सुधारों (दो-स्लैब संरचना, तेज रिफंड) ने लाभ दिया। एमएसएमई की औपचारिकता बढ़ी, टर्नओवर तथा निर्यात में वृद्धि हुई तथा 85% उद्योग सकारात्मक है।

- किंतु सूक्ष्म उद्यमों के लिए डिजिटल सहायता, 15 दिनों में रिफंड तथा और सरलीकृत रिटर्न आवश्यक। नीतिगत सिफारिशें:
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए तिमाही फाइलिंग अनिवार्य।
- GST पोर्टल पर AI आधारित सहायता।
- MSME के लिए विशेष रिफंड ट्रैकिंग।
- Udyam-GST पूर्ण एकीकरण।

इस प्रकार जीएसटी "एक राष्ट्र, एक कर" से आगे "एक राष्ट्र, आसान कर" की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में यह एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाएगा। जीएसटी ने "एक राष्ट्र, एक कर" से आगे बढ़कर "एक राष्ट्र, आसान कर" की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होने, ITC की पूर्ण उपलब्धता, इंटर-स्टेट व्यापार में बैरियर हटने तथा कंपोजिशन स्कीम (₹1.5 करोड़ तक 1-6% फ्लैट टैक्स) से छोटे व्यवसायों को व्यापक बाजार पहुंच, कम लागत तथा बेहतर कैश फ्लो मिला। Deloitte तथा अन्य सर्वेक्षणों में 85%+ उद्योगों ने जीएसटी को सकारात्मक माना, जबकि एमएसएमई में यह 78% से 82%+ बढ़ा। जीएसटी 2.0 ने विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फुटवियर, हस्तशिल्प तथा FMCG जैसे सेक्टरों में एमएसएमई को लाभ पहुंचाया, जहां इनपुट्स सस्ते होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

संदर्भ (References)

[1]. ClearTax. (2025). Next-Generation GST Reforms. https://cleartax.in/s/next-generation-gst-reforms

[2]. PIB. (2025). Record Gross GST Collection 2024-25. https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154789

[3]. Adesh, M. et al. (2025). Analyzing the Impact of GST on MSMEs. International Journal of Economics, Knowledge and Science.

[4]. Ministry of MSME. (2024-25). Annual Report. https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME-ANNUAL-REPORT-2024-25-ENGLISH.pdf

[5]. Deloitte. GST@8 Survey (2025).

[6]. Goel, R. & Sharma, V.N. (2025). Impact of GST on SMEs. International Educational Journal.

[7]. IJCRT Papers (2025). A Study on Impact of GST on MSMEs.

[8]. FICCI & CII Reports (2019-2025). GST Impact on MSMEs.

[9]. RBI Bulletins (2023-2025).

[10]. GST Council 56th Meeting Decisions (2025).

[11]. Sanskriti IAS. **जीएसटी** 2.0 (2025).

[12]. IIFL Finance. **भारत में एमएसएमई पर जीएसटी का प्रभाव** (2024).